न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 207/2024

अपीलांट्स	वनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. बुधाराम पुत्र हप्पाराम 2. सुखाराम पुत्र हप्पाराम 3. हुकमाराम पुत्र हप्पाराम (समस्त जातियान, राईका, निवासीगण ग्राम सुरपुरा खुर्द, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर)		1. हडमानराम पुत्र रामसुख 2. चेतनराम पुत्र रामसुख 3. देराजराम पुत्र मंगलाराम 4. सुभाष पुत्र मंगलाराम 5. सोहनराम पुत्र मंगलाराम (समस्त जातियान जाट, निवासीगण ग्राम सुरपुरा खुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर) 6. प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक, शाखा भोपालगढ, जिला जोधपुर 7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2023/16 दिनांक 27.06.2024

उपस्थित–
1. श्री कानाराम गोदारा, वकील अपीलांट
2. श्री सांगाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 सं0 1 से 5
3. श्री आदित्य सिंघवी, वकील रेस्पो0सं0 6
4. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 7 की ओर से

निर्णय

दिनांक 02.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर, एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2023/16 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 5–प्रार्थी–हडमानराम वगैरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुदा भूमि तहसील भोपालगढ के ग्राम सुरपुरा खुर्द स्थित

खसरा नम्बर 117/16, 117/22 व 117/23 की है। उक्त भूमि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05.06.1973 को खरीद की गई थी, जो खसरा नम्बर 117 कुल रकबा 19.19 बीघा की भूमि है। प्रार्थीगण ने दिनांक 08.08.1986 को बंटवाडा कर लिया था। जिसकी ऑनलाईन तरमीम जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्यक्रम के दौरान बंटवाडा के नामान्तरकरण में दर्शाये गये नक्शें व कब्जा अनुसार नही करके अन्य जगह कर दी गई है, जिसकी दुरूस्ती का आदेश फरमावे। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार भोपालगढ की अनुशंषा पर मौका रिपोर्ट दिनांक 18.08.2023 अनुसार तरमीम दुरूस्ती का आदेश पारित कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 5–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 से 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ख0नं0 117/16, 117/22 व 117/23 की तरमीम दुरूस्ती की इस्तदुआ चाही गई है तथा प्रार्थी ने अपने ख0नं0 117/22 व 117/23 की तरमीम अपीलांट–अप्रार्थी के ख0नं0 117/15 के स्थान पर किये जाने का आग्रह किया है। जबकि मौके पर ख0नं0 117/15 रकबा 2.4281 की भूमि पर अपीलांट–अप्रार्थीगण का निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नही किया गया। ख0नं0 117 बहुत बड़ा रकबा था, जिसमें काबिज काश्त अनेको लोगों का नियमन व आवंटन के जरिये खातेदारी दी गई थी। रेस्पो0– प्रार्थी का उक्त खसरे में 2 अलग–अलग जगह पर कब्जा था और इनके पूर्व खातेदार का दो अलग–अलग जगह पर कब्जा होने से उन्हें अलग–अलग आवंटन किया गया था, जिनसे रेस्पो0 ने उक्त भूमि खरीद की थी। अपीलांट जहां काबिज था उक्त स्थान को ख0नं0 117/15 की पहचान देकर नियमन किया गया था और अपीलांट नियमन से पूर्व भी उक्त स्थान पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। रेस्पो0 ने अपने खेत खसरान इकट्ठे करने की लालसा से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तरमीम दुरूस्ती का आवेदन पेश कर अपीलांट की भूमि पर अपनी खातेदारी भूमि की तरमीम दुरूस्त करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के जवाब एवं आपत्तियों पर गौर किए बिना

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अपीलांट के खेत खसरान को विलोपित कर दिया गया। जबकि जमाबंदी संवत् 2077–80 (वर्ष 2020) के खाता संख्या 728 अनुसार ख0नं0 117/15 अपीलांट्रस की खातेदारी मे दर्ज है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

आलोच्य प्रकरण में हल्का पटवारी/भू.अ.निरीक्षक की तरमीम रिपोर्ट दिनांक 18.08.2023 में अपीलांट के कब्जाकाश्त की खातेदारी भूमि को विलोपित दर्शाते हुए अपीलाट का कब्जा नही होने से तरमीम प्रस्तावित करना संभव नही होना अंकित किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन किए बिना ही, इसे आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 5–प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि आलोच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में ग्राम सुरपुरा खुर्द के खातेदारी खसरा नम्बर 117/16, 117/22 व 117/23 की खरीदशुदा भूमि की जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्यक्रम के दौरान हुई गलत तरमीम को बंटवाडा नामान्तरकरण में दर्शाये गये नक्शे व कब्जा अनुसार दुरूस्त करने का आग्रह किया गया। जिसमे अप्रार्थी0 5–तहसीलदार भोपालगढ के पत्रांक 630 दिनांक 12.02.2024 द्वारा भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 18.08.2023 प्रस्तुत की गई। जिसके आधार पर व तहसीलदार भोपालगढ की अनुशंषा पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तरमीम दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया है। अतः अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 7 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलोच्य प्रकरण में रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा ग्राम सुरपुरा खुर्द के ख0नं0 117/16, 117/22 व 117/23 की खरीदशुदा खातेदारी भूमि की सेग्रीगेशन कार्यक्रम में हुई गलत तरमीम को बंटवाडा नामान्तरकरण की पुश्त पर दर्शाये गये नक्शा व कब्जा अनुसार दुरूस्त करने का आग्रह किया गया। बंटवाडा ना0क0सं0 620 की प्रति के अनुसार ख0नं0 117/16 मि. 117/16/1 व 117/16/2 की रकबा भूमि रेस्पो0–प्रार्थी के नाम दर्ज है

व ना0क0 की पुश्त पर इसका नजरी नक्शा अंकित है। उक्त ना0क0 में रेस्पो0-प्रार्थी के ख0नं0 117/22 व 117/23 का कोई उल्लेख नही है तथा प्रार्थना पत्र के साथ मिलान खसरा परिवर्तन अथवा ऐसे किसी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत नही की गई है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि 117/16/1 व 117/16/2 ही ख0नं0 117/22 व 117/23 है। इसके अलावा आलौच्य प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष सरकारी पैराकार द्वारा तहसीलदार भोपालगढ के पत्रांक 630 दिनांक 12.02.2024 के संलग्न भू.अ.निरीक्षक पालडी राणावतां की तरमीम रिपोर्ट दिनांक 18.08.2023 पेश की गई। जिसमें अपीलांट-अप्रार्थी के खातेदारी ख0नं0 117/15 पर, अपीलांट का कब्जा नही होने से इसकी तरमीम प्रस्तावित करना संभव नही होना बताते हुए उक्त खसरान की तरमीम पर रेस्पो0-प्रार्थी के ख0नं0 117/22 एवं 117/23 तरमीम शुद्धि प्रस्तावित की गई तथा जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जबकि जमाबंदी संवत 2077-80 (वर्ष 2020) के खाता संख्या 728 के अनुसार ख0नं0 117/15 की भूमि अपीलांट्स की खातेदारी में दर्ज है। अतः इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश किसी भी सूरत में विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2023/16 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की सुनवाई कर, राजस्व रेकर्ड एवं उभय पक्ष की उपस्थिति में मौके की स्थिति का परीक्षणोपरांत, तहसीलदार भोपालगढ से रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः नये सिर से विधिसम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 2-2-26 .को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर